भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1796
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

केरल में समुद्र तटीय मछुआरा समुदाय

1796. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर पारंपरिक मछली प्रजातियों की कमी से केरल के समुद्र तटीय मछुआरों की मछली पकड़ने की क्षमता में उत्पन्न प्रमुख समस्या का समाधान किया है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केरल के मछुआरों के अनुरोध पर केरोसिन की कीमत कम करने और सब्सिडी देने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और मछुआरों को आजीविका प्रदान करने के लिए अपतटीय खनन के प्रस्ताव को रद्द करने के कोल्लम की तटीय आबादी के अनुरोध पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार केरल राज्य के लिए पर्याप्त मछली उतराई केंद्र, शीत श्रृंखला प्रणाली, मूल्यवर्धन इकाइयां, सुरक्षित डॉकिंग और किफायती भंडारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने अपनी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से मछुआरों की आजीविका को सुदृढ़ करने सहित मात्स्यिकी के सर्वांगीण विकास के लिए कई पहल की हैं। विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत, विगत 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केरल को 1418.51 करोड़ रुपए की मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत गतिविधियों में अन्य बातों के अलावा डीप-सी फिशिंग वेसेल्स (20), स्टॉक रीजुवनेशन के लिए तट के किनारे आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की स्थापना (42), बाइवाल्व कृषि (1140), बायोफ्लोक इकाइयां (780), री-सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) (708) जैसी वैकल्पिक/अतिरिक्त आजीविका गतिविधियां शामिल हैं। कल्याण के संदर्भ में, केरल को मत्स्यन प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता (1,71,033) के रूप में स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, क्षेत्र में तटीय मत्स्य पालन और इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केरल में एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों [इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विल्लेजस] (09), जलवायु अनुकूल तटीय गांवों [क्लाईमेट रेसिलिएंट कोस्टल विल्लेजस] (06), विस्तार सहायता सेवाएं - मत्स्य सेवा केंद्र (10) और सागर मित्र (222) की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा, मत्स्य भंडार फिर से भरने के लिए भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में पूर्वी तट पर 15 अप्रैल से 14 जून तक और पश्चिमी तट पर 1 जून से 31 जुलाई तक 61 दिनों की अवधि के लिए समान मत्स्यन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्यन के लिए बुल या पैयर ट्रॉलिंग और आर्टीफ़िशियल लाईट्स /LED रोशनी के उपयोग जैसी डिस्ट्रक्टिव फिशिंग की प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के आदेश भी जारी किए हैं, और तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे केरल द्वारा क्षेत्रीय जल के भीतर भी इसी तरह के निषेध लगाए गए हैं, जैसे कि मत्स्य प्रजातियों का न्यूनतम कानूनी आकार [मिनिमम लीगल साईज़ (MLS)], जाल का आकार और मत्स्यन गियर के नियम आदि।

(ख): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस विषय में नोडल मंत्रालय होने के नाते सूचित करता है कि भारत सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सुपीरिओर केरोसीन ऑइल (PDS SKO) आवंटन नीति तैयार की है, जिसके तहत सरकार खाना पकाने और रोशनी के लिए और विशेष जरूरतों (मात्स्यिकी मेला, प्रदर्शनियां, महामारी, आपदा आदि) के लिए त्रैमासिक आधार पर PDS केरोसिन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का आवंटन करती है। राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के भीतर PDS नेटवर्क के तहत PDS केरोसिन का आगे वितरण संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाता है। वितरण का पैमाना और मानदंड भी संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, 1 मार्च, 2020 से, पूरे भारत में रीटेल बिक्री मूल्य को शून्य अंडर-रिकवरी लेवल पर बनाए रखा जा रहा है।

(ग): खान मंत्रालय द्वारा सूचित किए जाने के अनुसार, अपतटीय क्षेत्र खनिज और विकास अधिनियम, 2002, और उसके तहत तैयार किए गए नियम, अर्थात्, अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 और अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के प्रावधान हैं।

(घ): PMMSY के तहत, सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुविधा प्रदान करना और कोल्ड चेन सुविधाओं सहित पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना प्राथमिकता वाली गतिविधियों में से एक है। विगत 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान PMMSY के तहत, इस संदर्भ में विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को केरल में मंजूरी दी गई है, जिसमें फिशिंग हारबर्स का विस्तार/उन्नयन (7), मौजूदा हारबर्स की रखरखाव ड्रेजिंग (6), आइस प्लांट्स/कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (16), मत्स्य के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए परिवहन वाहन (468), होल सेल फिश मार्केट्स (2), रीटेल मार्केट (5), फिश कियोस्क (90), लाइव फिश वेंडिंग सेंटर (77), मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयां (10) शामिल हैं।

*****